न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:— 12/51/2023 रजू दिनांक: 03.03.2023 रजि0 न0 2023/419

अपीलार्थी:—

श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री धनसिंह शर्मा, निवासी चैम्बर नं0 7, कचहेरी परिसर अलवर, जिला अलवर (राज0)

प्रत्यर्थी:—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास अलवर, जिला अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:— 12.06.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही थी, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। वांछित सूचना उपलब्ध ना होने पर दिनांक 02.01.2023 ऑनलाईन अपील प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 20.03.2023 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा लोक सूचना अधिकारी से जवाब आदिनांक तक अप्राप्त है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।
5. अतः लोक सूचना अधिकारी के जवाब के अभाव में एंव उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास अलवर, जिला अलवर को निर्देशित किया जाता है, कि सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनश्चित करें साथ ही निर्देशित किया जाता है, कि यदि सूचना देयता की श्रैणी में हो तो अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराई जावें, निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 12.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(पुखराज सेन)
जिला कलक्टर अलवर (राज0)